भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 151

02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

कालीकट में 'निर्देश' परियोजना के लिए आवंटित भूमि का उपयोग

151. श्री एम.के.राघवन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कालीकट में "निर्देश" परियोजना के लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य सरकार को "निर्देश" भूमि हस्तांतरित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 'एक रैंक एक पेंशन' (ओआरओपी) में विसंगतियों के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रमुख निजी अस्पताल लंबित बकाया राशि और पुराने प्रभार ढांचे का हवाला देते हुए ईसीएचएस से पीछे हट रहे हैं, जिससे देशभक्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को काफी कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): निर्देश ने पोत निर्माण व्यवसाय में आकांक्षियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश भूमि पर कौशल पार्क की स्थापना के लिए केरल सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू), मैसर्स अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम (एएसएपी) के साथ रियायती करार किया है । इस कौशल पार्क का निर्माण जारी

है और वर्ष 2024 के मध्य तक इसके स्थापित होने की संभावना है । निर्देश भूमि को राज्य सरकार को अंतरित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग): जी, हां । शिकायतों के निपटान के लिए सभी प्रयास किए गए हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि ओआरओपी के संबंध में रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के आदेश को रिट याचिका (सिविल) सं. 419/2016 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा दिनांक 07.11.2015 के ओआरओपी आदेशों में यथा परिभाषित ओआरओपी सिद्धांत का बरकरार रखा है । अतः सरकार के आदेशों में कोई संवैधानिक दोष अथवा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है । वर्ष 2015 में, सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई विसंगतियों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एल.नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) की नियुक्ति की थी । इस समिति ने दिनांक 26.10.2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । एक आंतरिक समिति ने व्यवहार्यता एवं वित्तीय पहलुओं के संबंध में ओएमजेसी की सिफारिशों की जांच की है । आंतरिक समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(घ) और (ङ): ईसीएचएस से हाल में कोई प्रमुख निजी अस्पताल अलग नहीं हुए हैं । भुगतान के किसी भी विलंब से बचने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । अस्पतालों के बिलों के भुगतान तथा व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा उपचार से संबंधित व्यय (एमटीआरई) के रूप में कुल 7500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

*****